Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to

the Constitution

श्री राहुल कस्वां **(चुरू) :** राजस्थानी भाषा को संवैधानिक सम्मान नही दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं । आजादी के पहले से राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता की मांग शांतिपूर्ण तरीके की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा की अनदेखी की जा रही है । 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को 8 वी अनुसूची में राजस्थानी भाषा को जोड़ने के लिए भेजा गया था । भाषाविद MS महापात्रा के प्रतिनिधित्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने राजस्थानी भाषा को समृद्ध बताया था फिर भी राजस्थानी को 8 वी अनुसूची में नही जोड़ा गया जबकि अन्य भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा 8 वी अनुसूची में भी जोड़ा जा रहा है और विभिन्न राज्य सरकारें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा भी दे रही है । ऐसे कौनसे मानक है जिन पर राजस्थानी खरा नहीं उतरती है। 2003 में संविधान की 8 वी अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया लेकिन राजस्थानी को नहीं जोड़ा जा रहा है । हाल में असमिया, बांग्ला, मराठी आदि को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को 8 वी अनुसूची में जोड़ें तथा राज्य सरकार अनुच्छेद 345 के तहत राजस्थानी भाषा को राज्य में राजभाषा बनाये ।